

धानसभा में आज पेश भाजपा सरकार का सरकार के बजट की तरह ही बेरोजगारी की हेतु रोजगार आदि के मामले में अति-गंवा है।' — मायावती, बसपा अध्यक्ष



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश का समग्र एवं समावेशी विकास करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण एवं उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। — केशव प्रसाद मोर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

नई दिल्ली। मंगलवार • 23 फरवरी • 2021

सहारा | www.rashtriyasahara.com

यापार बंद पर चर्चा करेंगे। बहुमत में मधुमेह के लिए 683.34 लाख और तीन प्रकार के आई भी उसी को मानेंगे।

जीएसटी के स्थान पर लाए जाने का आग्रह

तीन दिनों प्रतिदिन हो रहे बदलाव, जीएसटी के प्रत्येक कार्यवाही से परेशान होकर देशभर के 65 अल इंडिया व्यापार मंडल (फैम) ने भारत सरकार को एक नया जीएसटी लाए जाने का आग्रह किया है। 2021 को फैम ने देश भर के लगभग 400 मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारियों व राज्य सरकारों को आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार नया संस्करण लाए।

क्या गया है कि जुलाई 2017 में देश में सदी के सबसे बड़े जीएसटी को लागू किया गया था, देश ने बड़े वागत किया था और अपेक्षा की थी कि नई कर प्रणाली काम लगेगी एवं बिना किसी रुकावट के इनपुट आउटपुट के लिए वर्तमान जीएसटी प्रणाली एक अनुपालन इतना पेचीदा हो चला है कि व्यापारी विश्वास खो बैठा है और एक अनजाने डर के माहौल में फैम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना ने कहा कि जीएसटी का अर्थ नहीं है, पर उस फ्रॉड की रकम बैंक अपने वर्तमान जीएसटी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

बच्चों से बच्चे की मौत

प्रेम नगर स्थित चंदन पार्क में एक 8 साल के बच्चे को डूबने से मौत हो गई। घटना सोमवार शाम के 6 बजे के आसपास घटित हुई। घटनास्थल पर मौत के हसैन नाम का बच्चा घर से खेलता हुआ आया था। अचानक गिर गया। प्लॉट में काफी पानी था। दूसरे बच्चों ने घर जाकर तुरंत बताया तो को पानी से निकाला जब तक बच्चे की मौत के कारणों से गंदे पानी की निकासी का कोई भी कार्य नहीं किया गया। मौत के कारणों से गंदे पानी की निकासी का कोई भी कार्य कॉलोनी में इसी तरह से गंदे पानी की निकासी और इस तरह से भरे पानी के अंदर डूबने से बच्चे की मौत हुई थी। एक बार फिर इसी तरह की मौत हो रही है।

PUBLIC NOTICE

Public notice is being given by the Partnership firm M/s Gautam Filling Station, 8/1, Mile Stone, Mianwall Nagar, New Delhi-110087 (Reg. no. 1914/95) in regard to the 2 Partners, namely Mr. Prashant Juneja and Mr. Rishi Nanda, who have resigned from the partnership w.e.f. 15.03.2019 and the other existing partners Mr. Prem Partap Juneja, Mr. Nikhil Nanda, Smt. Svaraj Nanda have taken over all assets & liabilities of the firm and will continue to run the firm in the same name & style.

For Gautam Filling Station
Sd/-
Prem Partap Juneja
Partner

सार्वजनिक सूचना

कार्यालय सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद

सर्वसम्पत्तियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्मा पुत्र श्री ए.सी. शर्मा (आनंद प्रकाश शर्मा) निवासी डी-12, ब्लॉक नं. 8, केंद्रीय विहार, फेस-2, इन्द्रा नगर, नवम्बरवाली, हैदराबाद ने एक दरखास्त करते पंजीकरण करवाया मरणोपरान्त अपने पति श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ए.सी. शर्मा (आनंद प्रकाश शर्मा) निवासी नकल नं. 192, प्रकृत फ्लोर, अशोक इन्स्टीट्यूट-III सेक्टर-35, फरीदाबाद-121003 को पहले ब्लॉक-बी, फ्लैट नं. 304, मानसी टॉवर, मानसी क्रॉस रोड, वस्तीपुर, अहमदाबाद, गुजरात में रखा था। कि वसीयत दिनांक 24.09.2012 की इस कार्यवाही में प्रस्तुत की है जो वसीयत में श्री सिद्धार्थ शर्मा पुत्र श्री ए.सी. शर्मा (आनंद प्रकाश शर्मा) निवासी डी-12, ब्लॉक नं. 8, केंद्रीय विहार, फेस-2, इन्द्रा नगर, नवम्बरवाली, हैदराबाद को अपनी संयुक्त व वसीयत व वसीयत बना रखा है। यह कि श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ए.सी. शर्मा (आनंद प्रकाश शर्मा) का स्वर्गवास दिनांक 14-12-2012 को हो चुका है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस वसीयत या इस वसीयत की पंजीकरण बाधक किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार हो तो खुद असलतन व कब्रस्थान इस कार्यवाही में यह सूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों के अंदर अंदर मयसामय पेश होकर अपने पत्राचार प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा 30 दिनों की अवधि के पश्चात श्री संजय कुमार शर्मा पुत्र श्री ए.सी. शर्मा (आनंद प्रकाश शर्मा) की वसीयत उनकी मृत्युपरान्त बिना किसी भी ट्रस्ट के सही मान कर पंजीकृत कर दी जाएगी।

आज दिनांक 11-02-2021 में हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया है।

टी- कार्यालय सब रजिस्ट्रार फरीदाबाद

अनुसूची II	
प्रपत्र बी सार्वजनिक उद्घोषणा (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरसी (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12) मैसर्स अलूपन कम्पोजिट पैन्लस प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ	
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	अलूपन कम्पोजिट पैन्लस प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	31-12-2003
3. यह प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित / पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है
4. कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U27203DL2003PTC123774
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजीकृत कार्यालय : 7डी इंडिया बिल्डिंग, 15, बाराखंभा रोड, दिल्ली-110001 इंडिया फैक्ट्री प्लॉट नं. 24, सेक्टर-2, इटीपेटेड एरिया सिडकुल, हरियाणा में स्थित, और इसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 24.10.2019 को सर्वोच्च अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत नीलामी में बेचा गया था।
6. इन्सॉल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त होने की तिथि	18-02-2021
7. कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	18-02-2021 (दिनांक 22.02.2021 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई)
8. परिसमापक के रूप में इन्सॉल्वेंसी प्रोसेशनल का नाम एवं पंजीकरण संख्या	श्री अशोक कुमार दीवान पंजी नं. IBBI/PA-001/IP-P00603/2017-18/11054
9. बॉर्डर के पास पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ई-मेल	पता: ए-10, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, 7, एस जे एस सांसाजन मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 110018 ई-मेल: akdewan1001@gmail.com
10. परिसमापक के साथ पत्राचार हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला पता एवं ईमेल	पता: एआरसीके रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स एलएलपी, 409, चतुर्थ तल, अंसल मवन, 18 के जी मार्ग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ईमेल : insolvency@arck.in
11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि	20-03-2021

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली बेंच V ने 18.02.2021 को अलूपन कम्पोजिट पैन्लस प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है। (दिनांक 22.02.2021 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई) अलूपन कम्पोजिट पैन्लस प्राइवेट लिमिटेड के स्ट्रेक धारकों को आह्वान किया जाता है कि ऊपर मंद 10 के समक्ष वर्णित पते पर परिसमापक के पास 20/03/2021 को या उससे पूर्व अपने दावे प्रमाण सहित जमा करें। वितीय क्रेडिटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी स्ट्रेकधारक व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

दिनांक: 23-02-2021
स्थान: नई दिल्ली

परिसमापक - अलूपन कम्पोजिट पैन्लस प्राइवेट लिमिटेड
अशोक कुमार दीवान